न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

(पीठासीन अधिकारीः जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण / अभियुक्तगणः–

1. सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री मधुसूधन शर्मा, खाद्यकारोबारकर्ता
   फर्मः–मैसर्स मधुसूधन अपनोघर, प्रा. लिमिटेड, राजा कॉम्पलेक्स ग्राउण्ड फ्लोर, एचडीएसपी बैंक गौडावास, मकराना 341505
   निवासीः– गांव खारडिया, तहसील नावां सिटी
2. श्री मनीष कुमार निदेशक
   फर्मः–मैसर्स मधुसूधन अपनोघर, प्रा. लिमिटेड, राजा कॉम्पलेक्स ग्राउण्ड फ्लोर, एचडीएसपी बैंक गौडावास, मकराना 341505
3. श्री मधुसूदन शर्मा निदेशक
   फर्मः–मैसर्स मधुसूधन अपनोघर, प्रा. लिमिटेड, राजा कॉम्पलेक्स ग्राउण्ड फ्लोर, एचडीएसपी बैंक गौडावास, मकराना 341505
4. श्री गुलनाज निदेशक
   फर्मः–मैसर्स मधुसूधन अपनोघर, प्रा. लिमिटेड, राजा कॉम्पलेक्स ग्राउण्ड फ्लोर, एचडीएसपी बैंक गौडावास, मकराना 341505
5. फर्मः–मैसर्स मधुसूधन अपनोघर, प्रा. लिमिटेड, राजा कॉम्पलेक्स ग्राउण्ड फ्लोर, एचडीएसपी बैंक गौडावास, मकराना 341505

प्रकरण संख्या :–06 / 2023

" अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(पप) एवं दण्डनीय धारा 52 "

उपस्थितः–

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर
2. अभियुक्तगण संख्या 01 से 04

–ःनिर्णयः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:59 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 15.05.2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.12..2022 को समय 02:30 पी.एम.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

पर फर्म मैसर्स मधुसूधन अपनोघर प्रा. लिमिटेड, राजा कॉम्पलेक्स ग्राउण्ड फ्लोर, एचडीएसपी बैंक गौडाबास, मकराना 341505 पर पॅहुचा। वहां पर उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री मधुसूधन शर्मा खाद्यकरोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्वयं के आधार कार्ड आगामी खरीद बिल की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रतिया पेश कि, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लाल मिर्च पाउडर (एसएनएन) के 500–500 ग्राम वाले 5 पैकेट एक रैक में आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए मिले। मुझे इनमें अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर गवाहान की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसएनएन) के 500–500 ग्राम वाले 4 पैकेट मूल ही सिल्ड पैक में खाद्यकारोबारकर्ता सुनील कुमार शर्मा को सूचित करते हुए वास्ते नमुना जांच हेतु खरीदा जिसकी किमत सुनील कुमार शर्मा के बताए अनुसार रू. 580/–नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक सुनील कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना गवाह के सामने खाद्यकारोबारकर्ता को प्रपत्र 5ए में भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्यकारोबारकर्ता को बता दिया था कि यह लाल मिर्च पाउडर (एसएनएन) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विकेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार अलग–अलग लेबल तैयार कर डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी नागौर का कोड व क्रमांक Q- 2073 लिखा एवं अन्य विवरण अकिंत कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात प्रत्येक नमूना जारों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–2073 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये। कारोबारकर्ता ने भी नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता सुनील कुमार शर्मा एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 961 दिनांक 27.12.2022 के संलग्न जांच रिपोर्ट संख्या LS/1347/Act/2022/172 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया नमुना लाल मिर्च पाउडर (एसएनएन) मिसब्राण्डेड है। जांच रिपोर्ट संलग्न मूल आवेदन है।

(4) यह है कि श्री सुनील कुमार शर्मा मैसर्स मधुसूधन अपनोघर प्रा. लिमिटेड, राजा कॉम्पलेक्स ग्राउण्ड फ्लोर, एचडीएसपी बैंक गौडाबास, मकराना 341505 से मौके पर प्राप्त खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी सर्टिफिकेट, स्वयं का आधार कार्ड, अन्य फर्म से खरीद का बिल की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न न्यायनिर्णय आवेदन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:59 IST
Reason: SelfAttested

(5) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसएनएन) मिसब्राण्डेड विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

एंव 3(1)(zf)(C)(i) Misbrand [Use by/Expiry not given} का उल्लंघन पाया, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(6) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 09.05.2024 को अभियुक्त संख्या 01 ने अभियुक्तगण संख्या 2 से 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल है। अभियुक्त का पक्ष सुना गया। अभियुक्त ने बताया कि खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसएनएन ब्राण्ड) के कुल 5 पैकेट नमुने के रूप में सर्वेश्वर ट्रेडिंग कम्पनी की ओर से बैचने के लिए लिए थे, हम उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसएनएन ब्राण्ड) के नमुना खरीद के बिल अब प्रस्तुत कर रहे है। प्रकरण में सर्वेश्वर ट्रेडिंग कम्पनी को पक्षकार जावें। हस्तगत प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भी बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रार्थी को खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसएनएन ब्राण्ड) खरीद के बिल प्रस्तुत करने की सूचना जरिए रजिस्टर्ड डाक से दी गई है, परन्तु तत्समय प्रार्थी ने खाद्य पदार्थ खरीद के बिल प्रस्तुत नहीं किए है। अतः मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर अप्रार्थीगण पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाया जावें।

(7) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एंव प्रस्तुत जवाबों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं LS/1347/Act/2022/172 दिनांक 15.12.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः—

Opinion-The sample of Mirch Powder (SNN brand) bearing Code no. and Sr. no. Q-2073 of Designated Offier cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is Misbranded Under Section 3 (1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act 2006.

अतः खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii), 52 एंव 3(1) (zf) (C) (i) इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

धारा 26ः— खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः—

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः—

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं

धारा 52

(1) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छााप की है, मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा — 3

(1) इस अधिनियम में, जव तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(zf) ''मिथ्याछाप वाला खाद्य'' से कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है—

(C) यदि पैकेज में अन्तर्विष्ट पदार्थ

(i) कोई कृत्रिम सुरूचिकारक, कृत्रिम रंजक या रायायनिक परिरक्षी से युक्त है और पैकेज उस तथ्य का कथन वाला घोषणात्मक लेवल नहीं लगा है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेवल नहीं लगाया गया है या उसके उल्लंघन में है

(8) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जा. रि/2022/961 दिनांक 27.12.2022 से खाद्य कारोबारकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया तथा अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ के खरीद सम्बन्धी बिल प्रस्तुत करने हेतु रजिस्टर्ड डाक से पत्र भी भेजा गया है, परन्तु अभियुक्तगण ने तत्समय बिल प्रस्तुत नहीं किए है। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q-2073 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है जो इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर अभियुक्तगण 01 से 05 दोषी व उतरदायी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Goure
Date: 2025.12.31 13:13:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम सुनील कुमार शर्मा एंव अन्य

(9) अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अभियुक्त संख्या 01 सुनील कुमार शर्मा खाद्यकारोबारकर्ता, अभियुक्त संख्या 02 मनीष कुमार निदेशक, अभियुक्त संख्या 03 मधुसूदन शर्मा निदेशक, अभियुक्त संख्या 04 गुलनाज निदेशक, अभियुक्त संख्या 05 फर्म मैसर्स मधुसूधन अपनोघर, प्रा. लिमिटेड, राजा कॉम्पलेक्स ग्राउण्ड फ्लोर, एचडीएसपी बैंक गौडाबास, मकराना 341505 पर सयुक्त रूप से जुर्माना राशि रुपये 15,000/–(अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्तगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्तगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्तगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

आदेश दिनांक 15.05.2024 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:59 IST
Reason: SelfAttested